

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 50 लोक उद्यम विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

| | मुख्य शीर्ष | बजट 2007-2008 | | | संशोधित 2007-2008 | | | बजट 2008 -2009 | | | |
|----|---|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| | राजस्व पूँजी जोड़ | 10.00 | 4.43 | 14.43 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 10.00 | 4.50 | 14.50 | |
| 1. | सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | 3451 | ... | 3.70 | 3.70 | 0.17 | 4.25 | 4.42 | 0.60 | 3.75 | 4.35 |
| 2. | अन्तर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र को अंशदान | 2852 | ... | 0.73 | 0.73 | ... | 0.75 | 0.75 | ... | 0.75 | 0.75 |
| 3. | के.स.क्ष. के उपकर्मों के कर्मचारियों का पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन | 2852 | 9.00 | ... | 9.00 | 8.83 | ... | 8.83 | 7.10 | ... | 7.10 |
| 4. | केन्द्रीय बिलिक सेक्टर उद्यमों के कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनः तैनाती की युक्तयुक्त योजना | 2852 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.30 | ... | 1.30 |
| 5. | पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान | 2552 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 |
| | कुल जोड़ | | 10.00 | 4.43 | 14.43 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 10.00 | 4.50 | 14.50 |
| ग. | आयोजना परिव्यय | | विकास शीर्ष | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ |
| 1. | सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | 13451 | ... | ... | ... | 0.17 | ... | 0.17 | 0.60 | ... | 0.60 |
| 2. | उद्योग | 12852 | 9.00 | ... | 9.00 | 8.83 | ... | 8.83 | 8.40 | ... | 8.40 |
| 3. | पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 |
| | जोड़ | | 10.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 10.00 |

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इसके अन्तर्गत इस विभाग के सचिवालय व्यय, सरकारी क्षेत्र के नवरत्न और लघु-रत्न उपकर्मों के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन के लिए खोज समिति, समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित कार्यदल, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति तथा सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (वीआरपीएसई) से सम्बन्धित स्थापना व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें प्रशिक्षण, हार्डवेयरों और साफ्टवेयरों की आधिप्राप्ति और विकास, साफ्टवेयर के रखरखाव तथा कार्यालय परिसर के आधुनिकीकरण सहित सूचना प्रौद्योगिकी हेतु व्यय के लिए धनराशि की व्यवस्था भी की गई है।

2. **विकासशील देशों में अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यम संवर्धन केन्द्र को अंशदान:** इसके अन्तर्गत, विकासशील देशों में सरकारी उद्यमों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उद्यम विकास केन्द्र, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है, की सदस्यता हेतु भारत के अंशदान तथा उत्कृष्ट निष्पादन हेतु सरकारी उद्यमों को पुरस्कार प्रदान करने से संबंधित व्यय के प्रावधान शामिल है।

3. **केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों के योक्तिकृत कर्मचारियों का पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन:** इसमें परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण/पुनर्नियोजन, नए केन्द्रों की स्थापना/नोडल एजेन्सियों की वृद्धि करने आदि सम्बन्धी व्यय के लिए प्रावधान है; और इसमें परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन स्कीम के अधीन परियोजना को मानीटर करने के लिए निधि की भी व्यवस्था है।

4. **केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्य स्तर के उद्यमों से संबंधित व्यापक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श सेवाएं:** इसमें राज्य स्तरीय उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के व्यापक मुद्दों से संबंधित विषयगत परामर्श सेवाएं एवं अध्ययन तथा सेमिनार, कार्यशाला आदि हेतु अनुदान सहायता के रूप में निधियों की व्यवस्था है।

5. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान शामिल है।